

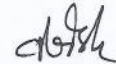
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/9025-30

दिनांक: 31-3-2014

कार्यालय आदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा, के आदेश क्रमांक जिपदौ/संस्था/2013/1150-55 दिनांक 17.10.2013 के द्वारा श्री भीमसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी, उपकोष कार्यालय महवा को, उपकोष कार्यालय महवा के कार्य के साथ-साथ पंचायत समिति महवा में मनरेगा एवं ग्रामीण विकास की पंचायती राज योजनाओं के अतिरिक्त कार्य करने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

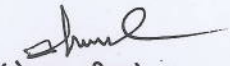

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/9025-30

दिनांक:- 31-3-2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद दौसा को प्रेषित कर लेख है कि एक विभाग से अन्य विभाग में अधिनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य के आदेश जारी करने हेतु निदेशक कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर ही सक्षम है।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय दौसा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति महवा (दौसा)
4. उपकोषाधिकारी महवा (दौसा) को प्रेषित कर लेख है कि श्री मीणा को पंचायत समिति कार्य हेतु कार्यमुक्त न करें।
5. श्री भीमसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी उपकोष कार्यालय महवा को प्रेषित कर लेख है कि बिना इस विभाग की अनुमति के पंचायत समिति का कार्य करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें एवं तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति महवा का कार्य छोड़कर सूचित करें अन्यथा आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी सहायक निदेशक महोदया।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)